



कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

—: प्रारंभिक अधिसूचना:—

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2022-23

जगदलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर-2022


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है

—अनुसूची—

भूमि का प्रकार					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / पओहॉनॉ	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बस्तर	बस्तर	टाकारागुडा/32 भाटपाल/बस्तर	420	0.029	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स)उत्तर बस्तर क0-2 जगदलपुर।	टाकारागुडा से भाटपाल मार्ग(2.25कि0मी0) निर्माण हेतु ।
			415/4	0.165		
			417	0.095		
			317	0.108		
			316	0.053		
			योग :-	5		

- यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/भू-अर्जन अधिकारी को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण (भ/स) उत्तर बस्तर क्रमांक-2 जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी(रा).बस्तर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(चंदन कुमार)

कलेक्टर,
जिला बस्तर

एवं पदेन उप सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व विभाग